

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
वाराणसी

सेवा में,

अनु सचिव,
मा0मुख्यमंत्री जी,
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4,
उ0प्र0शासन, लखनऊ।

दिनांक: 27 दिसम्बर, 2021

संख्या-| 547/वि0को0(टी0ए0सी0)/2021-22(IGRS)

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बंध में संदर्भ स0-1401972100594 लक्ष्मीशंकर सिंह पुत्र स्व0 लोकनाथ सिंह नि0- ग्रा0- जरियारी, पर0- सुल्तानीपुर, तह0-सदर, वाराणसी के निवासी है। प्रार्थी कैंसर रोग से पीड़ित है। प्रार्थी द्वारा ईलाज हेतु मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता हेतु अनुरोध किया गया है, इस संबंध में उपजिलाधिकारी (सदर) वाराणसी से जाँच कराई गयी। जिसके अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आख्या निम्नवत है:-

- 1-आवेदक/लाभार्थी का नाम लक्ष्मीशंकर सिंह
- 2-लाभार्थी का 12 अंको को आधार नम्बर 272373518301
- 3-पिता/पति/संरक्षक अभिभावक का नाम स्व0 लोकनाथ सिंह
- 4-स्थायीपता(वार्ड/मोहल्ला/राजस्व ग्राम नि0- ग्रा0- जरियारी, पर0- सुल्तानीपुर, तह0-सदर, वाराणसी। उपरोक्त। 9839521481, 9565163578 74 वर्ष
- 5-स्थानीय/पत्र व्यवहार का पता
- 6-आवेदक का मोबाईल नंबर
- 7-मृतक / मरीज/असहाय की आयु
- 8-प्रयोजन Head & Neck Cancer (Hypopharynx) के इलाज हेतु। आय प्रमाण-पत्र के आधार पर 36,000/- रू0 वार्षिक। (3000/- रू0 मासिक।)
- 9-लाभार्थी एवं अभिभावक का व्यवसाय, मासिक-
- 10-सेवारत होने की दशा में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति - की अनुमन्यता।
- 11-प्रयोजन हेतु इसके पूर्व में दी गयी सहायता धनराशि एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त सहायता। - प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिनांक 08.12.2021 को 2,00,000/- दो लाख रुपये की सहायता मिल चुकी है। उपरोक्त।
- 12-प्रयोजन हेतु किसी अन्य विभाग से सहायता - अनुमन्य है तो उसकी स्थिति।
- 13-लाभार्थी आयुष्मान योजना से अच्छादित है या नहीं- प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि आयुष्मान भारत योजना से अच्छादित नहीं है।
- 14-मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से सहायता हेतु जिलाधिकारी की स्पष्ट आख्या:- उप जिलाधिकारी (सदर) वाराणसी की संलग्न आख्या दिनांक 24.12.2021 के अनुसार लक्ष्मीशंकर सिंह पुत्र स्व0 लोकनाथ सिंह नि0- ग्रा0- जरियारी, पर0- सुल्तानीपुर, तह0-सदर, वाराणसी द्वारा अपने Head & Neck Cancer (Hypopharynx) के इलाज हेतु चिकित्सीय सहायता हेतु आग्रह किया गया है। प्रार्थी का इलाज होमी भाभा कैंसर अस्पताल, वाराणसी में चल रहा है। अस्पताल द्वारा उपचार हेतु स्टीमेट की राशि रू0 4,00,000/- चार लाख रुपये दिया गया है। इस्टीमेट की छायाप्रति संलग्न है। संलग्न आय प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रार्थी की आय रू0 36,000/- रुपये वार्षिक है। प्रार्थी आयुष्मान भारत योजना से अच्छादित नहीं है। प्रार्थी मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से पुनः सहायता पाने के पात्र है। अतएव प्रार्थी लक्ष्मीशंकर सिंह पुत्र स्व0 लोकनाथ सिंह के आवेदन पत्र पर उपजिलाधिकारी सदर वाराणसी की जाँच आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(बच्चू सिंह)

अपर जिलाधिकारी, (प्रोटोकाल)
वाराणसी।